तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/325/2005/सीकर निगरानी/टीए/871/2005/सीकर रोहिताश वगैरहा बनाम अणची व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थित– (प्रकरण संख्या 325/2005)
श्री शोकिन्दलाल गूर्जर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
श्री दूनीचंद, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।
(प्रकरण संख्या 871/2005)
श्री शोकिन्दलाल गूर्जर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

निर्णय
दिनांकः– 11–12–2019

यह दोनों निगरानियां अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (तत्पश्चात अधिनियम) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–01–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई।

आलोच्य आदेशानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सीपीसी को खारिज किया गया है।

यह दोनों प्रकरण एक ही आक्षेपित आदेश तथा पक्षकारान एवं विवाद बिन्दु एकसमान होने के कारण इनका निस्तारण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जाए।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रेकार्ड व आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रकरण संख्या 139/2004 रोहिताश वगैरहा बनाम अणची वगैरहा बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा एवं वाद संख्या 155/2004 बउनवान रोहिताश वगैरहा बनाम अणची वगैरहा के विचारण के दौरान प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 325 / 2005 / सीकर निगरानी / टीए / 871 / 2005 / सीकर रोहिताश वगैरहा बनाम अणची व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया। उक्त दोनों प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 06-01-2005 पारित करते हुए प्रार्थीगण के आलोच्य प्रार्थना पत्र को खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में यह अवधारित किया है कि आलोच्य प्रार्थना पत्र के प्रस्तुतीकरण से ''वाद की प्रकृति बदल जाती है''। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 में दिनांक 1-7-2002 को निम्न प्रकार संशोधन किया गया है- 17- Amendment of pleadings- The Court may at any stage of the proceedings allow either party to alter or amend his pleadings in such manner and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties provided that no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced, unless the Court comes to the conclusion that in spite of due diligence, the party could not have raised the matter before the commencement of trial. रेकार्ड के अनुसार वादीगण ने मूल वाद धारा 188 के तहत दायर किया गया है। वादीगण द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र में किए उद्धरण से यह परिभाषित होता है कि चाहा गया संशोधन धारा 88 के तहत देय है तथा रेकार्ड दुरूस्ती भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत समाहित है। इसके अतिरिक्त पक्षकारान के बीच हुई कथित अदला-बदली के अनुबंध की पालना सुनिश्चित करने बाबत सिविल न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त है। अदला-बदली में भी खातेदारान की सहमति पर तहसीलदार की स्वीकृति का नियमों में प्रावधान है। जिसका भी प्रकरण में अभाव है। हमारे द्वारा आलोच्य प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का विधिवत परीक्षण किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 325 / 2005 / सीकर निगरानी / टीए / 871 / 2005 / सीकर रोहिताश वगैरहा बनाम अणची व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया, जिसके अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा जिन उद्धरणों का समावेश वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा की कार्यवाही में जोडे जाने बाबत पेश किया, उन तथ्यों का समावेश किए जाने से वाद की मूल प्रकृति में परिवर्तित होने की पूर्ण सम्भावना है। मूल वाद के प्रस्तुतीकरण के बाद आलोच्य संशोधन 10 वर्ष बाद अत्यन्त मियाद से बाधित पेश किया है, इस हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। यही नहीं मूल वाद में जवाबदावे के स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में समय रहते संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया, इसका कोई स्पष्ट कारण नही बता सके। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण प्रकरण को येन केन प्रकारेण लम्बा करना चाहता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। स्थिति यह प्रकट होती है कि प्रार्थीगण ने निगरानी मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती। वैसे भी निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित होता है तथा यदि निगरानीधीन आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने की स्थिति में ही निगराधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाता है, हस्तगत प्रकरण में आक्षेपित विधि सम्मत पाया जाता है। अतः हमारी विनम्र राय में आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होने के कारण उसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह दोनों निगरानियां सारहीन/बलहीन पायी जाने के कारण खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा पारित आदेश दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 325 / 2005 / सीकर निगरानी / टीए / 871 / 2005 / सीकर रोहिताश वगैरहा बनाम अणची व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	06-01-2005 को यथावत रखा जाता है। चूंकि घोषणा के वाद में मियाद का बिन्दु अप्रभावी है, इस कारण प्रार्थीगण प्रश्नगत रकबे बाबत पृथक से घोषणा का वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 325 / 2005 / सीकर निगरानी / टीए / 871 / 2005 / सीकर रोहिताश वगैरहा बनाम अणची व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए